संख्या 1929 / उन्तीस(2)09–2(67पे0) / 2007

प्रेषक,

एम0ए0खान
सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग — देहरादून दिनांक 15 जनवरी, 2009

विषयः— वित्तीय वर्ष 2008–09 में गंगा कार्ययोजना द्वितीय चरण में परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु पेयजल निगम को अनुदानान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2892 / धनावंटन प्रस्ताव / दिनांक 28.07.08 एवं पत्र संख्या 1770 / गंगा प्रदूषण / दिनांक 03.06.08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बद्रीनाथ जलोत्सारण योजना वर्ष 2008 09 के रखरखाव अनु लागत रू0 8.99 लाख, तथा गंगा कार्ययोजना बगोली रखरखाव वर्ष 2008–09 अनु0लागत रू0 1.03 लाख के प्राक्कलनों पर टीएसी वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि क्रमशः रू0 8.50 (रू0 आठ लाख पचास हजार मात्र) तथा रू0 0.99 लाख (रू0 निन्यानबे हजार मात्र) के प्राक्कलनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही निम्न विवरणानुसार योजनावार कुल रू0 9.49 लाख (रू0 नौ लाख उनचास हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2008 09 में निम्न शर्तों के अधीन आपके नियंत्रण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त धनराशि का व्यय इस हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार के मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा। शेडयूल रेट से अधिक पर कार्य न किया जाय।

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	स्वीकृत धनराशि
1	बद्रीनाथ जलोत्सारण योजना वर्ष 2008–09 का रखरखाव	8.50	8.50
2	गंगा कार्ययोजना बगोली रखरखाव वर्ष 2008–09	0.99	0.99
	योगः	9.49	9.49

2— उपर्युक्त स्वीकृत अनुदान की धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके आवश्यकतानुसार ही पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग करने के उपरान्त आहरित किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बिल वाउचरों की संख्या व दिनांक की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।

.....2

3- उक्त स्वीकृति से व्यय की गई धनराशि का विस्तृत ब्यौरा तथा मासिक व त्रैमासिक वित्तीय/भौतिक प्रगति यथासमय शासन को उपलब्ध करायेंगे एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण व्यय विवरण सहित शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को चालू वित्तीय वर्ष की 31.12.2008 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4- गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव का राज्य सरकार की वचनबद्धता की सीमा तक धनराशि व्यय की जा सकेगी और इसके अभिलेखों का रखरखाव योजनावार अलग-अलग किया जायेगा।

5 एक मद की धनराशि का व्यय दूसरी मद में कदापि न किया जाय।

6 कराये जाने वाले कार्यों पर वित्त (वे0आ0-शा0नि0) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या 163/XXVII(7)/2007, दिनांक 22.05.08 के अनुसार सेन्टेज प्रभार अनुमन्य होगा।

7- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

8 उक्त स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण एक सप्ताह के भीतर शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

9 स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.03.2009 तक उपयोग करके वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जो धनराशि दिनांक 31.03.2008 तक अप्रयुक्त रहती है उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

10 आगणन में उल्लिखित दरें केवल आगणन गठित के लिए ही अनुमन्य है, कार्य कराने से पूर्व दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

11- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में व्यय अनुमन्य न होगा।

12- कार्य स्वीकृत राशि तक ही सीमित रखे। अधिक्य किसी भी दशा में न किया जाय। अधिक्य के लिए निर्माण इकाई स्वयं उत्तरदाई होगा।

13- निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय।

14- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

15- उक्त व्यय वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02 मल निकासी एवं सफाई-आयोजनागत 106-वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण-03-गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव हेतु जल निगम को अनुदान (फेज-I एवं II)-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

कमशः...3

15- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0- 793/XXVII(2)/2007 दिनांक 13 जनवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एम0ए0ख0खान)
सचिव

पृ0सं0 (22)/उन्तीस(2)/09-2(67पे0)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/पौड़ी/चमोली।
4. कोषाधिकारी, देहरादून।
5. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण शाखा (गंगा) प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम श्रीनगर।
6. वित्त अनुभाग-2/नियोजन /राज्य योजना आयोग/बजट सेल।
7. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव
13/1/09